

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2020-21 दिनांक 04.01.2021 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान	आदेश में क्र.सं.	संशोधन
1	BALU RAM MEENA	GSSS SALAMGARH (217808) PRATAPGARH TO GSSS MALAWALA ROOPWAS (218666) JAIPUR - UNDER TRANSFERRED	791	इनका स्थानान्तरण GSSS SALAMGARH (217808) PRATAPGARH से स्थानान्तरणधीन GSSS MALAWALA ROOPWAS (218666) JAIPUR में किया गया था। उक्त आदेश इनकी सीमा तक निरस्त करते हुए GSSS SALAMGARH (217808) PRATAPGARH में यथावत किया जाता है।
2	GHANSHYA M MAHATMA	GSSS SURJADA (211362) BIKANER TO GSSS KIKARWALI (211121) 8 MMK, HANUMANGARH - UNDER TRANSFERRED	1003	इनका स्थानान्तरण GSSS SURJADA (211362) BIKANER से स्थानान्तरणधीन GSSS KIKARWALI (211121) 8 MMK, HANUMANGARH में किया गया था। उक्त आदेश इनकी सीमा तक निरस्त करते हुए GSSS SURJADA (211362) BIKANER में यथावत किया जाता है।
3	YOGESH KUMAR	GSSS KIKARWALI (211121) 8 MMK, HANUMANGARH TO GSSS KHATUSHYAMJI SIKAR (213359) - UNDER TRANSFERRED	508	इनका स्थानान्तरण GSSS KIKARWALI (211121) 8 MMK, HANUMANGARH से स्थानान्तरणधीन GSSS KHATUSHYAMJI SIKAR (213359) में किया गया था। उक्त आदेश इनकी सीमा तक निरस्त करते हुए GSSS KIKARWALI (211121) 8 MMK, HANUMANGARH में यथावत किया जाता है।

आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगी।


(सौरभ स्वामी)

आईएएस

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्थानान्तरण/2020-21

दिनांक: 18.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2 आयुक्त समसा जयपुर।
- 4 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 5 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक।
- 6 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।
- 7 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- 8 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनटरिंग करें।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 10 सम्बन्धित कार्मिक।
- 11 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर